राजू
R.No. 91/NIC 10/3/17

झारखण्ड सरकार

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका, झारखण्ड
जिला आपदा प्रबंधन कोषांग, दुमका।

आदेश संख्या:– 22 /2017

सरकार के अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्र संख्या 05/आ0 प्र0 (वज्रपात)–07/2016–I –29 (आ0)/आ0 प्र0 राँची दिनांक 30/08/2016 द्वारा गैर योजना मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 128 (सी0) दिनांक:–30/08/2016 द्वारा वर्णित वचत शीर्ष के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उपायुक्त, दुमका को कुल 24,00,000.00 (चौबीस लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त है एवं राशि की निकासी हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(2) उक्त आवंटित राशि की निकासी निम्न वर्णित बजटशीर्ष के अन्तर्गत की जाएगी।

वचत शीर्ष	आवंटित राशि
मुख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्यशीर्ष–80 सामान्य लघु शीर्ष –102–विनाशवाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उप शीर्ष–11–वज्रपात से प्रभवित परिवारों को अनुग्रह अनदान का भुगतान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान, सामान्य– 2245–80–102–11–06–79 (गैर योजना) विपत्र कोड–39N224580102110679.	24,00,000.00 (चौबीस लाख) रूपये मात्र
कुल चौबीस लाख रूपये मात्र	24,00,000.00

(3) कुल आवंटन 24,00,000/– (चौसीस लाख) रूपये में से पूर्व में 9,80,000/– (नौ लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र चार अंचल में उपावंटित हो चुका है। अवशेष आवंटन 14,20,000/–(चौदह लाख बीस हजार) रूपये मात्र में से कुल 6,50,000/–(छः लाख पच्चास हजार) रूपये मात्र को पूर्व स्वीकृत अभिलेख के आधार पर निम्नलिखित अंचल अधिकारियों को उपावंटित किया जाता है।

क्र0 सं0	अंचल का नाम	उपावंटित राशि
1	मसलिया	4,00,000.00
2	रानेश्वर	1,50,000.00
3	जामा	50,000.00
4	जरमुण्डी	50,000.00
कुल छः लाख पच्चास हजार रूपये मात्र		6,50,000.00

तत् पश्चात अवशेष कुल 7,70,000/– (सात लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र सुरक्षित रखा गया है।

(4) यह आवंटन विभागीय संकल्प संख्या–604 दिनांक 18/05/2015, 1055, दिनांक:–11/09/2015 एवं दिनांक–16.10.2015 को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राशि उपावंटित की जा रही है। सम्बन्धित अंचल अधिकारी, राज्य आपदा मोचन निधि (S.D.R.F) दिशा निर्देश तथा मद एवं मापदण्ड के आलोक में अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करना सुनिश्चित करेंगे।

(5) राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित अंचल के अंचलाधिकारी होंगे जिनके द्वारा सम्बन्धित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

(6) सभी भुगतान e-KYC/आधार लिंक खाते में ही किया जाय।

(7).(क). सम्बन्धित अंचालाधिकारी भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रसंगाधीन भुगतान यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।

(ख). (I). मृतक का पोस्मार्टम प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित छाया प्रति संधारित किया जाय।

(II).मानव क्षति/विकलांगता का सत्यापन एवं इसके कारण का निर्धारण सक्षम स्तर से किया जाय तथा फोटोग्राफ भी अभिलेख में रखा जाय। सक्षम स्तर मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(III). आवश्यकतानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र भी अभिलेख का अंग होगा।

(IV). वज्रपात से मृत्यु का स्पष्ट साक्ष्य होना चाहिए।

(V). प्रारम्भिक सत्यापन न्यूनतम वर्ग–2 पदाधिकारी यथा–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (BDO)/अंचल अधिकारी (CO)/कार्यपालक दण्डाधिकारी (E.M) से होना अनिवार्य रहेगा। यह घटना के 24 घंटे के अंदर पूर्ण होना चाहिए।

(VI). Legl Heirs/Successors को ही राशि का भुगतान होना चाहिए।

(VII). अभिलेख में EPIC/आधार/Bank Account का सही ब्यौरा रखना चाहिए।

(VIII) इसका ब्यौरा ऑन–लाइन जिले के वेबसाइट पर रखना चाहिए।

(8) आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद एवं मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।

(9) किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरण विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि प्रत्यार्पण की सूचना 20 मार्च 2017 के पूर्व ऑन–लाईन करने का दायित्य अंचल अधिकारी–तथा–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(10). (i). व्यय के पश्चात विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

(ii). आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा ऑकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

[क्रमश: